न्यायालय में समक्ष सदस्य श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म.प्र.)

14

निगरानी 164-III-15

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED 5 रु. पाँच रुपये CANCELLED 5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

3 / 03-1-15

1. जसवन्त सिंह उम्र 42 वर्ष पिता सुखपत सिंह
2. उमेश कुमार उम्र 39 वर्ष पिता स्वर्गीय श्री लालचन्द दोनों निवासी शहडोल क्रमांक वार्ड नम्बर 23 एवं 22 तहसील सोहागपुर, थाना एवं जिला शहडोल (म.प्र.)

---- आवेदकगण

बनाम

1. छत्रपाल सिंह आत्मज राममनोहर सिंह गोंड़, निवासी कट्टी मोहल्ला वार्ड नम्बर 23, तहसील सोहागपुर, थाना एवं जिला शहडोल (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन

---- अनावेदकगण

कार्यालय कलेक्टर शहडोल (म.प्र.) 23 DEC 2014 शाखा ... कलेक्टर

निगरानी निर्णय विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर नम्बर 01 तहसील सोहागपुर राजस्व प्रकरण क्रमांक 6/अ–12/ 2013–14 आदेश दिनांक 15.02.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959

A 23.12.14

अंकदाता प्राप्त 03.01.15

मान्यवर,

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

4235 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज ... को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. यहं कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर नम्बर 01 तहसील सोहागपुर जिला–शहडोल के द्वारा ग्राम नरसरहा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 60/1 रकवा 1.251 हे. आराजी का नक्शा तरमीम एवं सीमांकन की कार्यवाही धारा 129 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत की गई।
2. यह कि आवेदक क्रमांक 01 जसवन्त सिंह आराजी खसरा नम्बर 56/3 रकवा 0.26 $^3/_4$ का भूमि स्वामी एवं आवेदक क्रमांक 02 इसी आराजी

... न प्रस्तुत कर्ता ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./164/तीन/15 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सिवेन्द्र सिंह उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर न्यायालय श्रीमान सोहागपुर राजस्व म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2014 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई ।	
	2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपनी आराजी खसरा क्रमांक 60/1 रकबा 1.251 हे0 भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे राजस्व निरीक्षक द्वारा पूर्ण कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.03.14 को आदेश पारित किया है जिसमें कोई आपत्ति किसी के द्वारा नहीं की गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.02.14 को सरहदी कास्तकारों को सूचना दी गई, जिसमें एक लगायत 6 कास्तकारों के नाम सूचना पत्र में अंकित हैं। मौके का पंचनामा दिनांक 24.02.15 को तैयार किया गया जिसमें 1 लगायत 7 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए हैं इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी सरहदी कास्तकार को कोई आपत्ति न होने के कारण पंचनामा पर हस्ताक्षर किए हैं। आवेदकगण चाहें तो वह अपना सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा	

धारा 129 के नियमों का पालन करते हुए सीमांकन की कार्यवाही की गई है जो विधि प्रक्रिया से उचित प्रतीत होती है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.14 स्थिर रखने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर नम्बर 01 तहसील सोहागपुर राजस्व म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2014 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य